

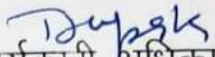
नगर परिषद टोहाना

सार्वजनिक सूचना

सभी जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत नगर निकाय प्रशासन/सेवा वितरण में नागरिक भागीदारी को सुदृढ़ करने हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 3152-57 दिनांक 19.01.2026 द्वारा नगर परिषद टोहाना में एरिया सभाओं का गठन किया गया है। इस आशय बारे सूचना नगर परिषद टोहाना की वेबसाइट/फेसबुक पेज तथा नोटिस बोर्ड, नगर परिषद कार्यालय में सभी जनसाधारण के लिये अपलोड कर दी गई है।

2. अतः सभी जनसाधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि एरिया सभा के गठन से सम्बन्धित शक्तियों व उसके द्वारा किये जाने कार्यों का विवरण हरियाणा नगरपालिका नागरिक भागीदारी अधिनियम, 2008 में वर्णित है। यह अधिनियम नगर परिषद टोहाना की वेबसाइट/फेसबुक पेज तथा नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।

दिनांक: 19.01.2026


कार्यकारी अधिकारी
नगर परिषद टोहाना।